न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 19/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नेमाराम पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी रूपाथल तहसील जायल जिला नागौर।		नायब तहसीलदार जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री सांवरराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 15.07.2021

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 5/2020 सरकार बनाम नेमाराम में निर्णय दिनांक 15.06.2020 के तहत मौजा रूपाथल के खसरा नं. 141 गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.07.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 23.07.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार जायल के प्रकरण सं. 5/2020 सरकार बनाम नेमाराम के फर्द अहकाम दिनांक 1.6.20 से 15.6.20 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 15.6.20 की फोटोप्रति, अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, सनद की फोटोप्रति तथा ग्राम रूपाथल संवत 2073–76 की जमाबंदी (खेवट/खतोनी) की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया गया होने तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना पूर्ण सुनवाई किये, बिना वास्तविक जांच व नाप चोप किये, बिना अतिक्रमी साबित हुए ही पारित किया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अपीलांट ने जवाब नोटिस के जरिये यह स्पष्ट कर दिया था कि उसका कथित खसरा नं. 141 गै.मु. रास्ता के किसी भी भू भाग पर कोई कब्जा अतिक्रमण नही है। इस खसरा नं. 141 के चिपता ही अपीलांट की कब्जासुद पट्टासुद भूमि खसरा नं. 127/834 रकबा 0.0324 हैक्ट. मे से 1/7 हिस्सा यानि 8 बिस्वा भूमि गै.मु. बाडा के रूप मे स्थित रहती चली आयी है व खतोनी मे अपीलांट का नाम है और उसी अनुसार अपीलांट का कब्जा उपयोग उपभोग रहता चला आया है। अपीलांट गरीब बीपीएल श्रेणी का व्यक्ति है तथा अपीलांट को पूर्व मे तत्कालीन सरकार द्वारा भूमिहीन मानते हुए उक्त खसरा नं. 127 मौजा रूपाथल मे से 8 बिस्वा भूमि की सनद यानि पटटा दिनांक 6.7.78 को जारी व अपीलांट के साथ इस मूल खसरा मे अन्य कई लोगो को बाडे आदि की भूमि नियमानुसार आवंटित की गयी व अपीलांट को आवंटित भूमि बाडा की सनद दस्तावेज मे बाडे का नक्शा मय नाप चोप, पडोस का विवरण दर्ज है। जिसमे पूर्वी तरफ निकाल यानि रास्ता दर्ज है और पूर्वी तरफ जो रास्ता खसरा नं. 141 है। उस पर कालान्तर मे ग्राम पंचायत ने सरकारी योजना के अनुसार राजस्व रेकर्ड के अनुसार रास्ता का नाप चोप करके रास्ते पर पक्की सडक / पक्का रास्ता बनाया गया है और इसी अनुसार रास्ता व पडोसी खसरान का रकबा, बाडे आदि स्थित रहते चले आये है। अपीलांट गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की श्रेणी मे आता है व सरकारी

अपर कलक्टर, नागौर

योजना अनुसार उसको आवंटित उक्त पटटासुद भूमि बीपीएल अंत्योदय योजना के तहत रहवासी मकान मय शौचालय व स्नानघर भी बनवाये हुए है व परिवार सहित निवास करता है व जायगा का उपयोग उपभोग कर रहा है। इसके अलावा अन्य कोई जगह इस प्रयोजनार्थ अपीलांट के पास नही है तथा पिछले 44–45 सालो से अपीलांट का लगातार उसी स्थान पर कब्जा उपयोग उपभोग रहता चला आया है। इसके बावजूद हाल ही मे पटवारी ने अन्य लोगो की सिखावट मे आकर बिना किसी प्रकार का नाप चोप किये व रास्ता पर कोई अतिक्रमण न होते हुए भी व्यक्ति विशेष अपीलांट को नाजायज तंग परेशान करने के लिये मिथ्या रिपोर्ट अतिक्रमण बाबत पेश कर दी व नायब तहसीलदार को सारी स्थिति से अवगत करवाने के बावजूद उन्होने अपने स्तर पर कोई जांच व नाप चोप नही करवाया व पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए विधि विरूद्व तरीके से व मौके की स्थिति के विपरीत निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(III)–इस खसरा के चिपते अपीलांट की पटटासुद भूमि खसरा नं. 127/834 होने के कारण अपीलांट को चिपते खसरा नं. 141 की ओर बढते हुए अतिक्रमण करने की मिथ्या रिपोर्ट करके उक्त आदेश जैर अपील पारित करवाया गया है। जो विधि सम्मत नही है। क्योकि अपीलांट का शुरू से ही निवेदन रहा है यदि निष्पक्ष रूप से नाप चोप कर सीमाज्ञान करवा लिया जावे तो वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जायेगी और सीमाज्ञान करवाने पर यदि अपीलांट को कथित सरकारी रास्ता के किसी भी भूभाग पर किसी प्रकार का कोई कब्जा पाया जावेगा तो उसे तुरंत छोडने के लिये तैयार था व है इस प्रकार एक काश्तकार बीपीएल परिवार द्वारा इससे ज्यादा सक्षम अधिकारी के समक्ष और क्या निवेदन कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट भूमि का नाप चोप व सीमाज्ञान करवा कर सदैव के लिये विवाद समाप्त करवाने व वास्तविक स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकट करने हेतु तैयार व तत्पर रहा है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना अपीलांट को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये ही सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया है। मात्र छपे छपाये फार्म मे कॉलम भरे गये है। ऐसा निर्णय विधि की दृष्टि मे विधि सम्मत निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। इन परिस्थितियों मे निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अपीलांट का कथित खसरा नं. 141 गै.मु. रास्ता के किसी भी भू भाग पर न तो पूर्व मे कभी कब्जा रहा है न आज दिन है। अपीलांट से नाराजगी रखने वाले लोगो ने पटवारी को अनुचित दबाव व प्रभाव मे लेकर अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट पेश करवाई है। जबकि कथित खसरा नं. 141 के चिपता ही अपीलांट की पटटासुद भूमि स्थित है। इनका नाप चोप करवाने पर सारी स्थित स्पष्ट हो सकती है और उस नाप चोप व सीमाज्ञान मे यदि एक इंच भी पटटे से अधिक अपीलांट का कब्जा पाया जाता है तो अपीलांट ऐसा कब्जा छोडने को सदैव तैयार था, है व रहेगा, जब इस तरह का नम्रतापूर्वक निवेदन अपीलांट का सक्षम अधिकारी के समक्ष होता है तो ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का भी यह दायित्व बनता है कि किसी काश्तकार के ऐसे निवेदन पर नाप चोप व सीमाज्ञान संबंधी कार्यवाही करके विवाद का निस्तारण किया जावे मगर प्रकरण हाजा मे ऐसा नही करके बिना किसी आधार के बिना विधिक सुनवाई के, बिना पत्रावली का अवलोकन किये व बिना आवश्यकता के ही ऐसा निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(V)–हस्तगत प्रकरण मे बिना किसी प्रकार की जांच किये व नायब तहसीलदार ने स्वयं के स्तर पर मौका निरीक्षण किये बिना, अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा मौके पर गै.मु. रास्ता व अपीलांट की आवंटित भूमि का नाप चोप करवाये बिना ही सरसरी तौर पर जल्दबाजी मे निर्णय जैर अपील पारित किया है जो विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना पारित किया गया होने से निर्णय जैर अपील विधि गैर कानूनी निर्णय है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा रूपाथल में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके रूपाथल के खसरा नंबर 141 गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु.

अपर कलक्टर, नागौर

रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलेक्टर,
नागौर